

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक,
रक्षित कार्यालय,
पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक-.....29/05/2023

विषय:- कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत गठित आंतरिक परिवाद समिति संबंधित आदेश, सदस्यों का मोबाईल नं0, ई-मेल एवं पता सूचना पट पर प्रकाशित करने के संबंध में।

प्रसंग:- बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना का पत्र सं0-6377, दिनांक-25.05.2023।

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश-सह-ज्ञापांक-768/पी0-1, दिनांक-09.12.2022 के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 से संबंधित मामलों में जाँच एवं विचारण हेतु आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।

आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मोबाईल नं0, ई-मेल एवं पता की विवरणी निम्नरूपेण है:-

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	मो0नं0	ई-मेल	अभियुक्ति
1.	श्रीमती गरिमा मलिक, भा0पु0से0, पुलिस उप-महानिरीक्षक (अप0अनु0वि0), बिहार, पटना	8986912827	dig.crime-bih@gov.in	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक वर्णवाल, पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा, बिहार, पटना	9470001367	spa.sb-bih@nic.in	सदस्य
3.	श्रीमती ममता कल्याणी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, महिला अपराध कोषांग	8986912807	mamtakalyani1972@gmail.com	सदस्य
4.	सुश्री प्रिया ज्योति, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना	7217770570	jyotipriya@gmail.com	सदस्य
5.	सुश्री सीमा कुमारी, गैर सरकारी संगठन, प्रयास भारती, पटना	7321879899	prayas4women@hotmail.com	सदस्य

कृपया आंतरिक परिवाद समिति आदेश एवं समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मो0नं0, ई-मेल एवं पता को सूचना पट पर प्रकाशित करें तथा महिला कर्मियों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित कराना सुनिश्चित करें।

उक्त में पुलिस महानिदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक-यथोपरि।

पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन),
बिहार, पटना

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं पुलिस मुख्यालय के वेवसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस मुख्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मोबाईल नं०, ई-मेल पते की विवरणी निम्नरूपेण है:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	मो०नं०	ई-मेल	अभियुक्ति
1.	श्रीमती गरिमा मलिक, भा०पु०से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक (अप०अनु०वि०), बिहार, पटना	8986912827	dig.crime-bih@gov.in	अध्यक्ष
2.	श्री दीपक वर्णवाल, पुलिस अधीक्षक (अ०), विशेष शाखा, बिहार, पटना	9470001367	spa.sb-bih@nic.in	सदस्य
3.	श्रीमती ममता कल्याणी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, महिला अपराध कोषांग	8986912807	mamtakalyani1972@gmail.com	सदस्य
4.	सुश्री प्रिया ज्योति, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना	7217770570	jyotipriya@gmail.com	सदस्य
5.	सुश्री सीमा कुमारी, गैर सरकारी संगठन, प्रयास भारती, पटना	7321879899	prayas4women@hotmail.com	सदस्य

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0-1/04-09-34-2022

पटना, दिनांक-


बिहार पुलिस मुख्यालय आदेश सहपठित ज्ञापांक 04/निगरानी, दिनांक 23.02.2022 द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में अवस्थित सभी कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों में जाँच एवं विचारण हेतु आंतरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन किया गया था।

02. उक्त समिति के सदस्य के रूप में नामित श्रीमती रानी कुमारी, पुलिस निरीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय का स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण बिहार पुलिस मुख्यालय के आंतरिक परिवाद समिति का पुनर्गठन निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

1. श्रीमती गरिमा मल्लिक, पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष
2. श्री दीपक वर्णवाल, पुलिस अधीक्षक (अ), विशेष शाखा, बिहार, पटना - सदस्य
3. श्रीमती ममता कल्याणी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, महिला अपराध कोषांग - सदस्य
4. सुश्री प्रिया ज्योति, पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना - सदस्य
5. सुश्री सीमा कुमारी, गैर सरकारी संगठन, प्रयास भारती, पटना - सदस्य

03. उक्त समिति बिहार पुलिस मुख्यालय, बिहार के सभी प्रभागों से संबंधित मामलों पर विचार करेगी।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार



पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक-पी0-1/04-09-34-2022/768...

पटना, दिनांक- 03/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना के सभी प्रभागों के प्रभारी पदाधिकारियों को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध होगा कि अपने प्रभाग के अंतर्गत सभी कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी के बीच इस आदेश को प्रचारित किया जाए।
2. समिति के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, निगरानी प्रशाखा, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. सुश्री सीमा कुमारी, सी0-83 कृष्णा अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

O/C